



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223986
CG-DL-E-29122020-223986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4149]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पोष 7, 1942

No. 4149]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4732(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4713 (अ) दिनांक 30 दिसंबर, 2019 (शुद्धिपत्र), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B के कि.मी. 65.130 से कि.मी. 84.00 (लालसोट-करोली खण्ड) तक के भूखण्ड परनिर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08 जनवरी, 2019" को "दैनिक भास्कर (हिंदी)" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के करौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B के किमी. 65.130 से किमी. 84.00 (लालसोट-करौली खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: करौली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: करौली				
	गांव का नाम: करौली				
1	6910	निजी	बंजड़ - २	0.02	अंगुरी देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द महाजन हिस्सा 1/4, रामदयाल, रमेश चन्द, सुरेश चन्द पिता फकीरया महाजन हिस्सा 3/4 सा. देह. (६९१०)
			कुल	0.02	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/41/3A Corr/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4732(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4713 (E) dated 30 Dec 2019 (Corrigendum)**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/two lane/ four lane etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 11B on the stretch of land from Km. 65.130 to Km. 84.00 (Lalsot-Karauli Section) in the district of Karauli in the state of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar (Hindi)**” and “**Times of India (English)**” both dated **08th Jan 2019**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No. 11 B on the stretch of land from Km. 65.130 to Km. 84.00 (Lalsot-Karauli Section) in the district of Karauli in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: KARAULI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Karauli				
	Village: Karauli				
1	6910	Private	Banjad - 2	0.02	Anguri devi W/o Laxmichand mahajhan Part ¼, Ramdayal, Ramesh chand, Suresh Chand S/o Fakeerya Mahajan Part ¾ sa Deh 6910
			TOTAL	0.02	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2018-19/41/3A Corr/3D]

RAJESH GUPTA, Director